[2017] 6 एस. सी. आर. 974

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और अन्य

बनाम

मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4248/2017)

9 मार्च, 2017

[अरुण मिश्रा और अमिताव रॉय, जे. जे.]

निविदाएं- तकनीकी मूल्यांकन- को चुनौती- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित कार्य के संबंध में निविदा जारी की- यह निर्धारित करने के लिए निविदाएं खोली गईं कि बोली लगाने वाले पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं- सीएसआईडीसी ने तकनीकी मूल्यांकन दस्तावेजों के चार्ट तैयार किए और निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष रखे- समिति ने एल-1 और एल-2 रैंक वाले दो बोली लगाने वाला ओं का चयन किया- प्रतिवादी को अयोग्य घोषित कर दिया गया =- व्यथित होकर, प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर रिट याचिका दायर की गई कि हॉट मिक्स प्लांट न होने के बावजूद एल-2 को योग्य माना गया था- उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एल-2 को इस तथ्य के बावजूद योग्य माना गया था कि उसके पास हॉट मिक्स प्लांट नहीं था और सीएसआईडीसी द्वारा दायर तकनीकी मूल्यांकन के दस्तावेज और हॉट मिक्स प्लांट के संबंध में प्रतिवादी द्वारा दायर दस्तावेज में विसंगति थी- इसलिए एल-2 को अवैध रूप से बोली लगाने वाला ओं की योग्य सूची में शामिल किया गया था और इस प्रकार,

एल-1 को दिया गया अनुबंध रद्द कर दिया गया था- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय की राय को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रासंगिक निविदा दस्तावेज उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं रखे गए थे- इसके अलावा, वित्तीय बोली खोलने के लिए हॉट मिक्स प्लांट एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी- इस प्रकार, पूर्व योग्यता चरण में सफल होने वाले दो बोली लगाने वाला ओं की वित्तीय बोलियां सही ढंग से खोली गईं और उन पर विचार किया गया- दुर्भावना या मनमानी के अभाव में, जो कि वर्तमान मामले में नहीं बनता है क्योंकि जब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था तब 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था, इसलिए वर्तमान मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी- जहां तक सीएसआईडीसी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज़ का सवाल है, साइबर अपराध सेल की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कोई हेरफेर नहीं हुआ है- प्रतिवादी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उसने सफल बोली लगाने वाला, एल-1 की नहीं बल्कि एल-2 की योग्यता पर सवाल उठाया था, इस आधार पर कि वित्तीय बोली अवैध रूप से खोली गई थी- यह निविदाकारों के बीच की लड़ाई थी जिसमें सार्वजनिक हित का कोई तत्व शामिल नहीं था- प्रतिवादी एल-2, जिसे ठेका नहीं दिया गया था, को अयोग्य ठहराने की मांग करके अपने व्यावसायिक हित को पूरा करने के लिए पुनः निविदा देने का प्रयास कर रहा था। न्यायालय को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने से बचना होगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4248/2017

डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1053/2016 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 14.02.2017 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी. ए. सं. 4251/2017

अपीलार्थियों की ओर से: मुकुल रोहतगी, ए. जी., अपूर्व कुरुप, ए. सी. बॉक्सीपेट्रो, आशीष कुमार सिन्हा, रतन के. सिंह, एस. अभिषेक, ऐश्वर्य तिवारी, निशंक त्यागी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्तागण।

प्रतिवादियों की ओर से: गर्वेश काबरा, ए. एच. लोहिया, एस. ओ. तापिया, अमित सिंह, सुश्री पूजा काबरा, अधिवक्तागण।

न्यायालय की ओर से निम्नलिखित आदेश दिया गया:

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में, 'सीएसआईडीसी') और मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिट याचिका (सी) 1053/2016 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.02.2007 से व्यथित होकर अपील की गई है जिसके तहत इसे अनुमति प्रदान की गई थी और सिरगिट्टी, बिलासपुर में संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस) के तहत सिरगिट्टी में बुनियादी ढांचे अर्थात सड़कों, जल निकासी प्रणाली और जल आपूर्ति के उन्नयन के कार्य के संबंध में सीएसआईडीसी द्वारा मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया गया।"

3. उपरोक्त कार्य के लिए सीएसआईडीसी द्वारा 3.11.2015 को 18 माह की निर्धारित समयावधि के भीतर निविदा जारी की गई और निविदाएं 12.01.2016 तक जमा करने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित की गई।

4. सीएसआईडीसी द्वारा जारी निविदाओं को आमंत्रित करने के नोटिस को चुनौती देते हुए डब्ल्यूपी (सी) संख्या 227/2016 वाली एक रिट याचिका दायर की गई और इसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 2.2.2016 के आदेश द्वारा

खारिज कर दिया गया। ऑनलाइन बोलियाँ (बिड्स) प्रस्तुत की गईं। सीएसआईडीसी ने यह निर्धारित करने के लिए निविदाएं खोलीं कि बोली लगाने वाले पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। बोली लगाने वाला ओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, सीएसआईडीसी ने अनुलग्नक 'ए' 'बी' 'सी' और 'डी' के रूप में तकनीकी मूल्यांकन दस्तावेजों के चार्ट तैयार किए जिन पर मुख्य कार्यकारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किए गए और 03.03.2016 को आयोजित बैठक में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा गया। सीएसआईडीसी ने अनुलग्नक आर-4/3 और 5/3 के रूप में एक तकनीकी मूल्यांकन पत्रक दाखिल किया, जिसे तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा गया था, जबकि उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता यानी मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तकनीकी मूल्यांकन दस्तावेज़ के रूप में दस्तावेज़ "अनुलग्नक पी -4" दायर किया।

5. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सीएसआईडीसी द्वारा दायर तकनीकी मूल्यांकन के दस्तावेजों पर कार्यकारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुबंध पी -4 के रूप में दायर किए गए दस्तावेज में किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

6. दिनांक 3.3.2016 को, निविदा मूल्यांकन समिति ने मामले पर विचार किया और रिपोर्ट तैयार की, जिस पर श्री एस राजगिरे, कार्यकारी अभियंता डिवीजन-IV, श्री जीवीएसपी राव, उप प्रबंधक (लेखा) और श्री अब्दुल शकील, मुख्य अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। दो बोली लगाने वाले अर्थात्; मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, छिंदवाड़ा और मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को योग्य पाया गया। मूल्यांकन समिति की राय है कि वे सभी अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं। अतः सर्वसम्मति से उक्त दोनों बोली लगाने वाला ओं की वित्तीय बोलियां खोलने का निर्णय

लिया गया। वित्तीय बोलियाँ अंततः 5.3.2016 को खोली गईं।मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बोली को एल-1 के रूप में रैंक किया गया था, जबकि मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा की बोली को एल-2 के रूप में रैंक किया गया था। अंततः मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की बोली एल-1 को 8.7.2016 को स्वीकार कर लिया गया और सीएसआईडीसी द्वारा मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश जारी कर दिया गया।

7. यहां याचिकाकर्ता/प्रतिवादी, अर्थात् मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि इसका निर्माण अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शाए गए अपेक्षित मानदंडों के अनुसार नहीं पाया गया, निर्माण कार्य की प्रमुख गतिविधियों के तहत प्रस्तुत की गई डीएलसी (एम-10) की मात्रा अर्थात 3194 सह. किए गए कार्य की अपेक्षित मात्रा का अनुभव पीडब्ल्यूडी एसओआर की शब्दावली के अनुरूप नहीं था। एसओआर में डीएलसी के नामकरण में एम-20 प्रकार का कंक्रीट नहीं था, इसलिए प्रमाणपत्र में प्रस्तुत डीएलसी की मात्रा को अस्वीकार कर दिया गया था।

8. यह उल्लेख करना उचित है कि सीएसआईडीसी और अन्य के खिलाफ मेसर्स बी.बी. वर्मा, जो असफल बोली लगाने वाला ओं में से एक थे, द्वारा बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 664/2016 दायर की गई थी। उक्त रिट याचिका में सीएसआईडीसी ने दिनांक 14.3.2016 को अपना जवाब दाखिल किया था तथा दस्तावेज दिनांक 3.3.2016 अर्थात तकनीकी मूल्यांकन वाला चार्ट प्रस्तुत किया था जिसमें उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। मेसर्स बीबी वर्मा द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका अंततः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।

9. हालाँकि, मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 1.4.2016 को सफल बोली लगाने वाले के खिलाफ नहीं बल्कि मेसर्स आर्कन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक अभ्यावेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि हॉट मिक्स प्लांट न होने के बावजूद उसे वित्तीय बोली खोलने के लिए योग्य पाया गया था। उच्च न्यायालय में 8.4.2016 को प्रश्नगत रिट याचिका दायर होने के बाद, सीएसआईडीसी द्वारा 7.7.2016 को जवाब दायर किया गया।

10. उच्च न्यायालय ने मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर तकनीकी मूल्यांकन के दस्तावेज और सीएसआईडीसी द्वारा दायर दस्तावेज में विसंगति पर विचार करते हुए दिनांक 28.07.2016 के आदेश द्वारा सीएसआईडीसी के कंप्यूटर पर उपलब्ध डेटा का निरीक्षण, जांच और विश्लेषण करने और निम्नलिखित बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए राज्य पुलिस के साइबर अपराध सेल से स्वतंत्र और सक्षम अधिकारी को तैनात करने के लिए पुलिस अधीक्षक, रायपुर को निर्देशित किया गया:

> "1. प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा ई-फाइल किया गया प्रारंभिक बोली दस्तावेज़ क्या था।
>
> 2. क्या प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेज में संयंत्र और मशीनरी की सूची में हॉट मिक्स प्लांट शामिल था या नहीं? क्या उक्त सूची अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित थी या नहीं?
>
> 3. संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का परीक्षण कर यह भी निर्धारित करेगा कि दस्तावेज अनुलग्नक-पी/4 सीएसआईडीसी के कंप्यूटर पर तैयार किया गया है या नहीं?

4. अधिकारी सीएसआईडीसी द्वारा दायर दस्तावेज़ अनुलग्नक आर 4,5/3 की तैयारी की तारीख भी सूचित करेगा और स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि दस्तावेज़ शुरू में कब तैयार किया गया था और यदि इस दस्तावेज़ में कोई बदलाव किया गया था तो किस तारीख को किया गया था। आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी जाए।"

11. आदेश के अनुपालन में दिनांक 9.11.2016 को उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल की गयी। साइबर क्राइम सेल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट यहां दी गई है:

"उपरोक्त आदेश के परिपालन में सायबर विशेषज्ञ पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा सीएसआईडीसी के कम्प्यूटरों से तीन हार्ड डिस्क जप्त कर चिप्स की सहायता से एक दस्तावेज प्राप्त किया गया। परीक्षण उपरांत निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:

1. बिन्दु संख्या 01 से संबंधित जानकारी पृष्ठ 115 पर संलग्न है।

2. बिन्दु संख्या 02 से संबंधित जानकारी पृष्ठ संख्या 115 पर संलग्न है तथा पृष्ठ संख्या 57 पर प्रतिवादी संख्या 6 के माध्यम से बनाए गए ई-टेंडर में सभी दस्तावेजों की एक सूची मौजूद है जिसमें हॉट मिक्स प्लांट का कोई उल्लेख नहीं है और इस सूची में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के स्थान पर कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है।

3. सूचना के अनुपालन के अनुसार प्वाइंट नं. 3 और नहीं। 4 कंप्यूटर नं. से एक हार्ड डिस्क जब्त की गई थी। 3 जिसका वर्णन इस प्रकार हैः बिंदु क्रमांक 3 एवं क्रमांक 4 की सूचना के अनुपालन के अनुसार कंप्यूटर क्रमांक 3 से एक हार्ड डिस्क जब्त की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(ए) हिताची कंपनी का एस/आर नं. 0138264JPT3MAOCOA, 30 जी.बी.

(बी) एचसी कंपनी का एस/आर संख्या 0A33535BS19570C7A, 164 जी.बी.

(सी) वेस्टेम डिजिटल कंपनी का एस/आर संख्या WCAYUA915673, 164 जी.बी.

जब्त हार्ड डिस्क का साइबर अपराध विशेषज्ञ से परीक्षण कराया गया।

परीक्षण रिपोर्ट के बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 की जानकारी इस प्रकार हैः

बिन्दु क्रमांक (3)- दस्तावेज़ अनुलग्नक पी/4 सीएसआईडीसी के कंप्यूटर पर बनाया गया है, जो कंप्यूटर की हिताची कंपनी की हार्ड डिस्क में स्थित है, जिसका एस/आर संख्या OA39264JPT3MAOCOA है, 320 जीबी, अनुलग्नक-बीबी नामक फ़ाइल में, अंतिम संशोधित तिथि -06/03/2016. समय:-4.46 अपराह्न, मिली फ़ाइल 80 केबी की है जिसमें 08 पृष्ठ हैं। परिशिष्ट: पी/4 से संबंधित जानकारी पृष्ठ संख्या 6,7,8 में पाई गई।

बिंदु संख्या (4) से संबंधित जानकारी फ़ाइल अनुलग्नक-ए में पाई। अंतिम संशोधित दिनांक: 14.01.2016 समय 12.33 बजे जो हिताची कंपनी की सीएसआईडीसी हार्ड डिस्क में स्थित था, जिसका क्रमांक OA39264JPT3MAOCOA, 320 जीबी है। जिसके दस्तावेज़ अनुलग्नक आर-4, 5/3 के अनुसार माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जो कि एक "तकनीकी मूल्यांकन" चार्ट है तथा निविदा प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 2 में निविदा प्रपत्र मूल्य के कॉलम में डी.डी. निविदा में शामिल होने वाली कंपनियों द्वारा जमा की गई संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और साथ ही बैंकों का नाम भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। लेकिन हार्ड डिस्क "तकनीकी मूल्यांकन" चार्ट से प्राप्त फ़ाइल जिसे अनुलग्नक आर -4, 5/3 नाम दिया गया है, उसमें केवल डी डी संख्या है और किसी भी बैंक का नाम नहीं है, इस प्रकार दोनों फाइलों में अंतर है। "तकनीकी मूल्यांकन" चार्ट अनुलग्नक "बी" से संबंधित जानकारी अनुलग्नक-बी नामक फ़ाइल में स्थित है, अंतिम संशोधित दिनांक: 04-07-2016 समय-02.08 अपराह्न जो हिताची कंपनी की हार्ड डिस्क में स्थित है जिसका एस/आर संख्या है OA39264JPT3MAOCOA है, 320 जीबी फ़ाइल का आकार 24 KB है और इसमें 02k पेज हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए अटैचमेंट और हार्ड डिस्क में मिली फाइल में कोई अंतर नहीं है।

"तकनीकी मूल्यांकन" चार्ट अनुलग्नक "सी" से संबंधित जानकारी अनुलग्नक-सी नामक फ़ाइल में स्थित है, अंतिम संशोधित दिनांक: 04.07.2016 समय- 02.09 बजे जो हिताची कंपनी की हार्ड

डिस्क में स्थित है जिसका S/R संख्या OA39264JPT3MAOCOA, 320 जी.बी. है। फ़ाइल का आकार 29.7 के.बी. है और इसमें 02 पृष्ठ हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए अटैचमेंट और हार्ड डिस्क में मिली फाइल में कोई अंतर नहीं है। दस्तावेज़ परीक्षण रिपोर्ट (I/पेज) औरसीडी के साथ-साथ साइबर सेल विशेषज्ञ द्वारा निष्कर्ष निकाले गए चिप्स का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है।

संलग्नक : उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार।"

12. रिपोर्ट 11.11.2016 को दायर की गई और उच्च न्यायालय ने पाया है कि जो दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखे गए थे; एक सीएसआईडीसी द्वारा दायर और एक अपीलकर्ता द्वारा दायर इस तथ्य के संबंध में काफी भिन्न थी कि क्या हॉट मिक्स प्लांट का स्वामित्व मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास था और यह भी कि दस्तावेज़ में 4.7.2016 में संशोधन किया गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने राय दी थी कि एल-2 निविदाकार मूल रूप से भाग लेने के लिए योग्य नहीं था और उसे मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को किसी भी तरह से अनुबंध देने के लिए अपनी वित्तीय बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त बताया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 3.3.2016 की बैठक में मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को अवैध रूप से बोली लगाने वाला ओं की योग्य सूची में शामिल किया गया था, और इस प्रकार, मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया अनुबंध रद्द कर दिया गया है और साथ ही आगे की पुलिस जांच का आदेश दिया गया है ताकि सीएसआईडीसी और/या मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर दस्तावेज़ में की गई हेराफेरी के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके।

13. इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील दायर की गई है।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी, श्री अपूर्व कुरुप, श्री एसी बॉक्सिपट्रो और श्री आशीष कुमार सिन्हा ने तर्क दिया कि तकनीकी मूल्यांकन बोली पत्रक में कोई हेराफेरी नहीं की गई है और जिन दोनों निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोली गई थीं, उनके द्वारा पूर्व-योग्यता मानदंड पूरे किए गए थे। हॉट मिक्स प्लांट का स्वामित्व कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता था कि तकनीकी मूल्यांकन किसी भी तरह से अवैध था। योग्य निविदाकारों की वित्तीय बोलियाँ खोली जानी आवश्यक थीं और हॉट मिक्स प्लांट उन संयंत्रों और उपकरणों की सूची में नहीं था जो पूर्व योग्यता चरण में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे।

15. विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने सीएसआईडीसी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए तकनीकी मूल्यांकन शीट के दस्तावेजों पर अनावश्यक रूप से संदेह किया है। इसे बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के सात दिनों के भीतर रिट आवेदन में दायर किया गया था, जिसे मेसर्स बी.बी. वर्मा ने किया था, जिसे 15.3.2016 को उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खारिज कर दिया गया था जो सीएसआईडीसी द्वारा तत्काल रिट आवेदन में भी दायर किए गए थे। मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो दस्तावेज दाखिल किया गया है उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं, यदि इसे सीएसआईडीसी द्वारा संपूर्ण निविदा दस्तावेजों के संबंध में किए गए मूल्यांकन के रूप में भी लिया जाए, वित्तीय बोली खोलने के लिए हॉट मिक्स प्लांट का होना पूर्व-आवश्यकता और आवश्यक नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह तर्क कि एल-2 को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए योग्य बनाया गया था कि एल-1 की वित्तीय बोली खोली जा सके ताकि वह एकमात्र निविदाकर्ता के रूप में न रह जाए, जिसकी वित्तीय बोली तब

नहीं खोली जा सकती थी क्योंकि वह केवल बोली लगाने वाला था और पुनः निविदा की आवश्यकता होती, विफल होता है।

16. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री गर्वेश काबरा ने सरलता से प्रस्तुत किया कि अन्य निविदाकर्ता अर्थात् मेसर्स अनिल बिल्डकॉन (आई) प्राइवेट लिमिटेड को अपेक्षित 'कंक्रीट पेवर' नहीं रखने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था और यह स्पष्ट है प्रतिवादी द्वारा पी-4 के रूप में दायर तकनीकी मूल्यांकन शीट से पता चला कि एल-2 निविदाकर्ता मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास निविदा जमा करने के समय हॉट मिक्स प्लांट नहीं था, जो मूल्यांकन शीट (P4) के अपेक्षित कॉलम में नोट किया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि निविदा प्रपत्र के साथ अनुसूची डी खंड वी में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि सीएसआईडीसी के कहने पर हेरफेर किया गया था क्योंकि सीएसआईडीसी द्वारा दायर तकनीकी मूल्यांकन शीट उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर तकनीकी मूल्यांकन दस्तावेज से मेल नहीं खाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज़ में हेरफेर किया गया है जैसा कि 4 जुलाई, 2016 को उच्च न्यायालय ने देखा था। उच्च न्यायालय ने एल-2 को अयोग्य घोषित कर दिया है, और इस प्रकार प्रचलित मानदंडों के अनुसार नई बोलियां आमंत्रित करना आवश्यक हो गया है। परिणामस्वरूप, साइबर क्राइम सेल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था। इसलिए अपीलों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। उच्च न्यायालय द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद यह आदेश पारित किया गया है।

17. प्रतिद्वंद्वी तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, निविदा दस्तावेज़ और पूर्व योग्यता के लिए आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक है। क्या हॉट मिक्स प्लांट

होना आवश्यक योग्यता थी? निविदा दस्तावेज़ में, सूची दी गई है, उसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"(ए) केवल अनुसूची ए और अनुसूची डी की धारा 1 को निविदाकर्ता द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना है

(बी) पूर्व योग्यता मानदंड के अनुसार सभी प्रमाण पत्र अनुसूची "डी" के प्रासंगिक रूपों के साथ संलग्न किए जाएंगे।

1. भाग एक (सीएसआईडीसी एफ-आई)- (निविदा के साथ संलग्न किया जाना है)

(ए) प्रेस नोटिस और शुद्धिपत्र

(बी) विस्तृत एनआईटी

भाग-ख

(ए) अनुसूची ए

(i) लागत सार

(ii) मात्राओं का बिल

(बी) अनुसूची बी-शून्य

(सी) अनुसूची सी-शून्य

(डी) अनुसूची डी

धारा 1 .... तकनीकी निविदा प्रपत्र

(i) तकनीकी निविदा पत्र

(ii) निविदाकर्ता की सूचना पत्रक

(iii) वार्षिक कारोबार

(iv) विशिष्ट निर्माण अनुभव

(v) घोषणा

(vi) तकनीकी निविदा मूल्यांकन के लिए जाँच सूची

खंड II. काम का दायरा

अनुभाग III. कार्य की तकनीकी विशिष्टताएँ

धारा IV. अनुबंध की विशेष शर्तें

अनुभाग V. अनुमोदित निर्माणों की सूची।"

(हमारे द्वारा बल दिया गया)

18. निविदा आमंत्रण सूचना के लिए कुछ दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। निविदा सूचना के पैरा 1 में निहित दस्तावेजों की सूची यहां नीचे दी गई है:

"निम्नलिखित को ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है:

(ए) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफडी (एम.डी.सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर के पक्ष में) में अग्रिम राशि का विवरण।(बी) सीटी/वैट का वैध पंजीकरण और वैट क्लीयरेंस प्रमाणपत्र/इसकी रिटर्न पावती।

(सी) तकनीकी निविदा का पत्र।

(घ) निविदा सूचना पत्रक।

(ई) विशिष्ट निर्माण अनुभव।

(एफ) प्रमुख गतिविधियों में निर्माण अनुभव,

(जी) बोली लगाने वाला /पट्टे या किराए पर उपलब्ध प्रमुख संयंत्रों और उपकरण प्रमाणपत्रों की सूची। (सूची संलग्न)।

(एच) तकनीकी निविदा मूल्यांकन के लिए घोषणा जांच सूची।

(।) सभी वांछित दस्तावेज़ नोटरी द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

(जे) ऑनलाइन जमा किए गए सभी वांछित दस्तावेज़ स्कैन प्रति को अलग लिफाफे में डाक द्वारा भौतिक रूप से जमा किया जाना चाहिए। कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ जो ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है लेकिन भौतिक रूप से जमा किया गया है, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(के) पैन संख्या विवरण।

(एल) उचित खंड के सीजीपीडब्ल्यूडी/केंद्रीय/राज्य/अर्ध सरकारी या पीएसयू में वैध पंजीकरण की प्रतिलिपि।

(एम) निविदाकर्ता को पिछले पांच (5) वर्षों में से किसी तीन (3) वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के साथ अपने वित्तीय टर्नओवर/खातों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट जमा करनी होगी।

(एन) ठेकेदार उन कार्यों की सूची प्रस्तुत करेगा जो हाथ में हैं।

(ओ) मूल शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए, जिसमें दी गई सभी सूचनाएं सत्य हों, 100 रुपये/गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संलग्न किया जाना चाहिए।

(हमारे द्वारा बल दिया गया)

19. यह स्पष्ट है कि बोली लगाने वाले के पास पट्टे या किराए पर "उपलब्ध" संयंत्र और मशीनरी की सूची संलग्न की जानी थी। यह स्पष्ट है कि एल-2 ने यह उल्लेख नहीं किया कि उसके साथ हॉट मिक्स प्लांट उपलब्ध था। इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वित्तीय बोली खोलने के लिए हॉट मिक्स प्लांट आवश्यक था।

20. निविदाएं आमंत्रित करने वाले विस्तृत नोटिस में निम्नलिखित तरीके से तीन लिफाफों में निविदा जमा करने की आवश्यकता है:

"निविदा दस्तावेजों को जमा करना	1. लिफाफा ए में पोर्टल https://csidc.cgeprocurement.gov.in पर उल्लिखित मुख्य तिथियों के अनुसार ए, बी और सी चिह्नित तीन लिफाफों में ऑनलाइन जमा किए जाने वाले निविदा दस्तावेजों में अग्रिम राशि शामिल होगी। लिफाफा बी तकनीकी योग्यता/एनआईटी के अनुसार योग्यता के लिए आवश्यक विवरण और अन्य विवरण लिफाफा सी में वित्तीय प्रस्ताव होगा। 2. तकनीकी योग्यता, पात्रता मानदंड और बयाना राशि के लिए ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेज़ को केवल दस्तावेज़ की

	अंतिम प्रस्तुति माना जाएगा। तकनीकी योग्यता/पात्रता मानदंड के लिए अतिरिक्त कागज/दस्तावेज़ की भौतिक प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा।
निविदा खोलने का स्थान और तारीख	निविदाएं मुख्य तिथियों में उल्लिखित अनुसार प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसी, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड संख्या 1, तेलीबांधा, रायपुर 9 सीजी) के कार्यालय में खोली जाएंगी। उसके बाद केवल पात्र आवेदकों का लिफाफा (सी) उसी दिन या केवल योग्य निविदाकारों के किसी उपयुक्त तिथि पर खोला जाएगा।

21. सारणीबद्ध रूप में लिफाफा खोलने के लिए मूल रूप से निर्धारित तिथियां दी गई थीं जो यहां नीचे दी गई हैं:

अनुक्रम संख्या	सीएसआईडीसी स्तर	प्रदायक स्तर	प्रारम्भ तिथि व समय	समाप्ति तिथि व समय	लिफ़ाफ़े
7.	खुला लिफाफा-ए (पीक्यू टेक्निकल ए.एम. पी.एम. & व्यावसायिक विवरण)		01/01/2016, 10.00 एएम से	02/01/2016, 17.00 पीएम तक	तकनीकी लिफाफा
8.	लिफाफा-ए का मूल्यांकन और शॉर्टलिस्टिंग		01/01/2016, 10.00 एएम से	02/01/2016, 17.00 पीएम तक	तकनीकी लिफाफा
9.	खुला लिफाफा-सी (मूल्य बोली)		04/01/2016, 10.00 एएम से	04/01/2016, 17.00 पीएम तक	मूल्य बोली लिफ़ाफ़ा
10.		तय की गई दरें	04/01/2016, 17.01 पीएम से	04/01/2016, 17.02	मूल्य बोली लिफ़ाफ़ा

		भरें		पीएम तक	
11.	लिफाफा-सी का मूल्यांकन और शॉर्टलिस्टिंग		04/01/2016, 17.03 पीएम से	08/01/2016, 17.04 पीएम तक	मूल्य बोली लिफ़ाफ़ा
12.	निविदा अवार्ड		08/01/2016, 17.05 पीएम से	12/01/2016, 17.06 पीएम तक	तकनीकी लिफाफा मूल्य बोली लिफाफा

22. निविदा तीन लिफाफों 'ए', 'बी' और 'सी' में जमा की जानी थी।बयाना राशि रखने के लिए लिफाफा 'ए'. लिफाफा 'बी' में एनआईटी के अनुसार योग्यता के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता/विवरण और अन्य विवरण शामिल होंगे। वित्तीय प्रस्ताव रखने के लिए लिफाफा 'सी'।

23. पूर्व-योग्यता मानदंड को विस्तृत एनआईटी के खंड 2 में निपटाया गया है। इसे नीचे इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

> "2. पूर्व-योग्यता मानदंड: अनुबंध के तहत पात्र होने के लिए, इच्छुक निविदाकर्ता को निम्नलिखित अनिवार्य मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
>
> 2.1 वित्तीय मानदंड औसत वार्षिक कारोबार: सीजी सरकार पीडब्ल्यूडी परिपत्र संख्या F21-7/T/2017 दिनांक 02/03/2015 के अनुसार "किसी एक वित्तीय वर्ष" में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों के उल्लिखित खंडों में कम से कम 60% (साठ) का वित्तीय कारोबार हासिल किया गया अनुबंध की संभावित राशि का प्रतिशत, जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है, यानी 26.64 करोड़ रुपये (सीए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ऑडिटेड बैलेंस शीट संलग्न की जानी चाहिए)।

(बी) वित्तीय प्रस्ताव जमा करने की एक तारीख के रूप में पोर्टेबल राशि के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर मूल्य यानी 22.20 करोड़ रुपये के अनुबंध के बराबर कम से कम एक समान कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाना चाहिए (सीए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ऑडिटेड बैलेंस शीट संलग्न की जानी चाहिए)

2.2 तकनीकी मानदंड

ए	इच्छुक निविदाकर्ता को भारत के किसी भी केंद्रीय/राज्य/अर्ध सरकारी या पीएसयू के साथ क्लास ए-अनलिमिटेड में पंजीकृत ठेकेदार होना चाहिए या उचित श्रेणी में सीजीपीडब्ल्यूडी की एकल पंजीकरण प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार होना चाहिए।
	और
बी	इच्छुक निविदाकर्ता को पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात 06.10.2010 के बाद किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निम्नलिखित कार्य संतोषजनक ढंग से पूरे करने चाहिए: (ए) एक समान कार्य की लागत प्रत्येक 35.52 करोड़ रुपये से कम नहीं या (बी) दो समान कार्य, प्रत्येक की लागत 22.20 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए
सी	प्रमुख गतिविधियों में निर्माण अनुभव (विशेषज्ञ उपठेकेदारों द्वारा

	अनुपालन किया जा सकता है, नियोक्ता को बोली लगाने वाले से उपठेकेदार समझौते के साक्ष्य की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञ उपठेकेदार एक विशेषज्ञ उद्यम है जो अत्यधिक विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए लगा हुआ है जो मुख्य ठेकेदार द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है)

मांग	सबमिशन आवश्यकताएँ
2.1 में निर्धारित अवधि के दौरान निष्पादित उपरोक्त या अन्य अनुबंधों के लिए न्यूनतम निर्माण अनुभव से ऊपर निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों में अनुभव होना चाहिए मिट्टी कार्य 33400 घनमीटर ग्रेन्युलर सब बेस ग्रेडिंग 20300 क्यू.एम ड्राई लीन सीमेंट कंक्रीट 5100 घनमीटर सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ (एम-30 और उससे ऊपर ग्रेड) 10200 घनमीटर गीला मिश्रण मेकाडैम 2500 क्यू.एम सघन वर्गीकृत बिटुमिनस अमाकादम और बिटुमिनस कंक्रीट द्वारा 3000 घन मीटर आर.सी.सी. खुली नाली (एम-20 ग्रेड) 7500 आरएम कक्षा K-9 4265 RM की DI पाइपलाइन विभिन्न व्यास एलईडी लाइट के साथ अष्टकोणीय पोल 75 नग	प्रपत्र में, अनुसूची डी(v) निर्माण प्रमुख गतिविधियों में अनुभव

ए. इस उद्देश्य के लिए निष्पादित कार्यों और वित्तीय टर्नओवर के मूल्य को कार्य के वास्तविक मूल्य को 10% प्रति वर्ष (वार्षिक रूप से संयोजित) की दर से बढ़ाकर वर्तमान लागत स्तर तक खरीदा जाएगा, निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक पूरा होने की तारीख से गणना की जाती है।

बी. मूल्यांकन के लिए चालू परियोजना/आंशिक परियोजना अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

सी. इच्छुक निविदाकारों के लाभ के लिए निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए अनुसूची डी (धारा 1) में एक चेक सूची संलग्न है।

डी. यदि निविदाकार कार्य के दायरे के एक/एक से अधिक घटकों के अनुभव के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, तो ऐसी परिस्थिति में, एक निविदाकार को उस घटक के निष्पादन में अनुभव रखने वाले उप विक्रेता को नियुक्त करना होगा, जिसके लिए निविदाकार के पास अनुभव नहीं है। उस उपविक्रेता को निम्नलिखित विशेष घटक के संबंध में किसी केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू में सफलतापूर्वक कार्य पूरा करना चाहिए:

(i) उस घटक के मूल्य का 80% का एक पूरा कार्य;

या

(ii) केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/पीएसयू प्रमाणपत्र में उस घटक के मूल्य के 50% के दो पूर्ण कार्य।

(ए) सभी निविदाकारों को वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वाणिज्यिक कर प्रमाणपत्र, कम से कम तीन वर्षों के लाभ और हानि विवरण के साथ बैलेंस शीट।

(बी) निविदाकर्ता को कार्य आदेश के साथ प्रत्येक उद्धृत अनुभव के समर्थन में संतोषजनक समापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। संतोषजनक समापन प्रमाण पत्र पर सरकारी विभाग के मामले में संबंधित कार्यकारी अभियंता के

पद से नीचे के अधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में महाप्रबंधक के पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना चाहिए।

(सी) प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ विधिवत नोटरीकृत किए जाएंगे।"

24. पूर्व-योग्यता मानदंड से यह स्पष्ट है कि पात्रता प्राप्त करने के लिए इच्छुक निविदाकर्ता को खंड 2.1 में निर्दिष्ट वित्तीय मानदंडों, खंड 2.2(ए) के अनुसार तकनीकी मानदंड, और अपेक्षित प्रकृति का अनुबंध करने के खंड 2.2 में दिए गए अनुसार प्रमुख गतिविधियों में निर्माण का अनुभव को पूरा करना होगा। खंड 2.2 (बी) के अनुसार समान निर्माण कार्य पांच साल के भीतर संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाना चाहिए, जिसकी लागत 32.52 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए या 22.20 करोड़ रुपये के दो समान कार्य और प्रत्येक और खंड 2.2(सी) उपरोक्त के लिए आवश्यक प्रमुख गतिविधियों में निर्माण अनुभव या उपरोक्त खंड 2.1 में निर्धारित अवधि के दौरान निष्पादित अन्य अनुबंधों के संबंध में प्रावधान किया गया है। निर्माण अनुभव से संबंधित प्रपत्र अनुसूची डी खंड ।(v) में दिए गए अनुसार प्रमुख गतिविधियों में न्यूनतम निर्माण अनुभव।

25. पूर्व-योग्यता मानदंड में संदर्भित अनुसूची डी खंड एल(v) भी नीचे दिया गया है:

"डी(वी): प्रमुख गतिविधियों में निर्माण अनुभव।

प्रति अनुबंध एक (1) फॉर्म भरें।

संविदा संख्या	कार्य का नाम	
पंचाट अवधि		
पंचाट अवधि		समापन तिथि

संविदा में भूमिका	संविदा कर्ता	उप ठेकेदार
कुल संविदा मूल्य		
नियोक्ता का नाम पता टेलीफोन/फैक्स नं. ईमेल		
	निष्पादित कार्य का विवरण	

नोट: प्रत्येक उद्धृत अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश की प्रतियां और संतुष्ट समापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

पूर्णता प्रमाणपत्र पर सरकारी विभाग के मामले में संबंधित कार्यकारी अभियंता के पद के अधिकारी द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के मामले में महाप्रबंधक के पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख- ------"

26. निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों हेतु अनुसूची डी अनुभाग I(v) में चेक लिस्ट दी गई थी। वही यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:

एजेंसी का नाम		
क्रम संख्या	दस्तावेज़	विवरण
		40 एमएम व्यास तक की बार काटने की मशीन

		कटिंग पम्प
		पैन मिक्सर 0.5 सीयूएम से कम न हो
		ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम शटरिंग सामग्री (अच्छी गुणवत्ता वाली स्टील प्लेटें, प्रस्तावित स्टील इत्यादि)
		पेवर से तय किया गया या स्लिप किया गया एक टन क्षमता के प्लेट वाइब्रेटर
		पानी के टैंकर
		टिपर/ट्रक
		मृदा कम्पेक्टर 8-10 टन
		कंक्रीट आरी
		जेनरेटर (250 केवीए)
		कम्पायमान रोलर
		मोटर ग्रेडर (क्लियरिंग/स्प्रेडिंग/जीएसबी बी /100 Cum/घंटा)

		सीसी रोड के लिए मैकेनिकल पेवर का निश्चित रूप
		बीटी रोड के लिए यांत्रिक पेवर

नोट: उपरोक्त जांच सूची केवल उन दस्तावेजों के लिए प्रदान करती है जो निविदा पूर्व योग्यता मानदंड के लिए अनिवार्य हैं। निविदाकर्ताओं को तकनीकी निविदा के साथ विस्तृत एनआईटी या भाग एक (सीएसआईडीसी एफ-1) में कहीं और अपेक्षित अन्य दस्तावेजों को भी संलग्न करना आवश्यक है।

27. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पूर्व-योग्यता मानदंडों के लिए आवश्यक अनिवार्य संयंत्र आदि की उक्त सूची में हॉट मिक्स प्लांट का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, वित्तीय बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त करना पूर्व-आवश्यकता नहीं थी।

28. इसके अलावा, जब हम अनुबंध दस्तावेज़ के खंड 51 में प्रदान की गई न्यूनतम संयंत्र, उपकरण और शटरिंग की सूची का अवलोकन करते हैं, तो 18 वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिसमें फिर से "न्यूनतम संयंत्र उपकरण और शटरिंग" की सूची में हॉट मिक्स प्लांट का उल्लेख नहीं किया गया है। निविदा दस्तावेजों के खंड 51 में निहित सूची यहां दी गई है:

क्रम संख्या	विवरण	आवश्यकता अनुसार मात्रा
1.	न्यूनतम 30 cum प्रति घंटा क्षमता का	कम से कम एक नग

	कम्प्यूटरीकृत और पूर्णतः स्वचालित कंक्रीट बैचिंग प्लांट।	
	सीधे फीडिंग और बैचिंग सुविधा के साथ 2 (दो) दिनों की क्षमता के लिए सीमेंट साइलो।	
	महीन और मोटे समुच्चय के लिए हॉपर।	
	स्वीकृत प्लास्टिसाइज़र डोजिंग सुविधा	
	बैचिंग/मिक्स डिज़ाइन में सुधार करने के लिए संगत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।	
	आवश्यक क्षमता का कंक्रीट पंप।	1 नग
	6 Cum क्षमता का ट्रांजिट मिक्सर।	4 नग
	एमएस कंक्रीट पाइपिंग सिस्टम	प्रति पंप सेट पंपिंग के लिए 1 सेट
2.	जेसीबी	2 नग
3.	वायब्रेटर्स	
ए	कम शोर वाली इलेट्रिक	3 नग
बी	पेट्रोल (स्टैंड बाई)	2 नग
सी	नीडल वाइब्रेटर-40	2 नग
डी	नीडल वाइब्रेटर- 65	2 नग
4	40 मिमी व्यास तक की 4 बार बेंडिंग मशीन।	1 नग

5	40 मिमी व्यास तक की 5 बार कटिंग मशीन।	1 नग
6	क्योरिंग पंप	3 नग
7	पैन मिक्सर 0.5 Cum 2Nos से कम नहीं।	2 नग
8	1 टन क्षमता के 8 प्लेन वाइब्रेटर	2 नग
9	ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम शटरिंग सामग्री (अच्छी गुणवत्ता वाली स्टील प्लेट, इंक स्टील प्रस्ताव आदि)	एल=200 एमटीएचटी 0.30 मीटर एल=200 एमटीएचटी 1.00 मीटर
10	पेवर से फिक्स्ड या स्लिप	1 नग
11	पानी के टैंकर (10-12 केएल)	1 नग
12	टिपर/ट्रक	6 नग
13	मृदा कम्पेक्टर (8-10 टन)	1 नग
14	कंक्रीट आरा	1 नग
15	जेनरेटर (250 केवीए)	1 नग
16	कंपन रोलर (8-10 टन)	1 नग
17	मोटर ग्रेडर (क्लियरिंग/स्प्रेडिंग/जीएसबी/ (100 Cum/घंटा)	1 नग
18	कंक्रीट सड़क के लिए मैकेनिकल पेवर और	1 नग

	बी.टी. रोड के लिए मैकेनिकल पेवर	

उक्त उल्लिखित टूल्स और प्लांट्स स्वयं के स्वामित्व का हो। यदि किराये पर लिया जाता है तो भारतीय गैर न्यायिक स्टम्प पेपर पर किए जाने वाले किराया अनुबंध पत्र जो इसी कार्य के लिए जारी किया गया हो, उपलब्ध उक्त मशीनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो और जिसमे किरायानामा अनुबंध निष्पादित किया गया हो उस एजेंसी का टूल्स और प्लांट्स का स्वामित्व का सत्यापन कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी किया गया हो। प्रमाण पत्र के अभाव में ठेकेदार की अर्हता मानते हुए निविदा नहीं खोली जावेगी।

नोट: यहां ऊपर उल्लिखित विवरण केवल मात्रात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य से हैं। शटरिंग सामग्री के विनिर्देश और गुणात्मक पहलू बीओक्यू और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार होंगे। विवरण अनुबंध दिए जाने के 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना है।"

29. यदि उपरोक्त कोई भी न्यूनतम उपकरण उपलब्ध नहीं है और प्रमाणपत्र बोली के साथ संलग्न नहीं है, तो वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

30. हॉट मिक्स प्लांट को अनुसूची डी के विभिन्न खंड V में जगह मिलती है। अनुसूची डी खंड V को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि यह निविदा प्रपत्र का हिस्सा था और सड़क कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमोदित उपकरण और मशीनरी की लिस्ट में था, वित्तीय बोली खोलने के लिए पूर्व-योग्यता के चरण में तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से यह आवश्यक नहीं था

31. उपरोक्त विभिन्न धाराओं पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि दोनों बोली लगाने वाला एल-1 और एल-2 अर्थात मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. लिमिटेड और मैसर्स. आर्कन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. अपनी वित्तीय बोलियाँ खोलने के

लिए तकनीकी रूप से योग्य थे। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय कि एल-2 को इस तथ्य के बावजूद योग्य बनाया गया था कि उसके पास हॉट मिक्स प्लांट नहीं था, इस प्रकार, एल-2 निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित करने के लिए उपलब्ध आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था, निविदा दस्तावेज़ के प्रासंगिक खंडों को उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था और अंतिम क्षण में अयोग्य ठेकेदार द्वारा हॉट मिक्स प्लांट को अनुसूची डी खंड V में शामिल करने का संकेत दिया गया था। हमारी राय में, वित्तीय बोली खोलने के लिए हॉट मिक्स प्लांट अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, पूर्व-योग्यता चरण में सफल होने वाले दो निविदाकारों की वित्तीय बोलियां सही ढंग से खोली गईं और उन पर विचार किया गया। हमारी राय में, मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन ने अयोग्य निविदाकर्ता - मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को चोरी-छिपे तरीके से ठेका देने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की थी, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया था। मेसर्स आर्कन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, वास्तव में, सही योग्य था।

32. तेजस कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम नगर परिषद, सेंधवा और अन्य (2012) 6 एससीसी 464 मामले में इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जब काम 60 प्रतिशत पूरा हो जाए, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए क्योंकि पुनः निविदा से परियोजना में देरी होगी। दुर्भावना या मनमानी के अभाव में, जो कि वर्तमान मामले में नहीं बनता है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने पर 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था, इसलिए, वर्तमान मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

33. अब, हम तकनीकी मूल्यांकन शीट में हेरफेर के प्रश्न पर ध्यान देते हैं, जिसे सीएसआईडीसी द्वारा दस्तावेज़ आर -413 और 513 के रूप में और मेसर्स अमर

इंफ्रास्ट्रक्चर लेफ्टिनेंट द्वारा उच्च न्यायालय में अनुबंध पी -4 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है।

34. साइबर क्राइम सेल ने पाया है कि 4 जुलाई, 2016 को तकनीकी मूल्यांकन बोली दस्तावेज़ पी. 4 में कुछ संशोधन किया गया था, जिसकी एक प्रति प्रतिवादी यानी मीसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा अप्रैल के महीने में दायर की गई थी। यह भी नहीं बताया गया कि पी-4 में क्या बदलाव किया गया। सीएसआईडीसी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर तकनीकी मूल्यांकन के दस्तावेज में इस तरह की कोई हेराफेरी की सूचना नहीं है। हमने मिस बी.बी. वर्मा द्वारा दायर रिट आवेदन के जवाब में सीएसआईडीसी का रुख देखा है, जिसे उसी तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को देखने के बाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सीएसआईडीसी द्वारा भी इसी तरह का रुख अपनाया गया था और तकनीकी मूल्यांकन का वही दस्तावेज उपरोक्त मामले में रिकॉर्ड पर रखा गया था, जैसा कि उन दलीलों से स्पष्ट है, जिन पर हमारा ध्यान विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा आकर्षित किया गया है। सीएसआईडीसी द्वारा जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया था, उसे वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने के एक सप्ताह के भीतर उक्त मामले के रिकॉर्ड में रखा गया था। इसे तत्काल दाखिल करना और उसी प्रभाव का रुख अपनाना जैसा कि इस मामले में लिया गया है, सीएसआईडीसी द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़ की शुद्धता की भी पुष्टि करता है और इसमें कोई हेरफेर नहीं है। साइबर क्राइम सेल की रिपोर्ट के अनुसार भी सीएसआईडीसी ने जिस दस्तावेज पर भरोसा किया है, उसमें कोई हेरफेर नहीं है। हॉट मिक्स प्लांट में हेराफेरी का सवाल ही बेकार है क्योंकि यह वित्तीय बोली खोलने के लिए अनिवार्य मानदंड नहीं था। हॉट मिक्स प्लांट का स्वामित्व या अन्यथा स्वामित्व बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था और वित्तीय बोली खोलने के लिए पूर्व-योग्यता चरण के प्रयोजन के लिए प्लांट की आवश्यकता नहीं थी। यह केवल प्रभारी अभियंता के प्रमाणीकरण के तहत उपयोग किए जाने वाले अनुमोदित

संयंत्र और उपकरणों की सूची में था। ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज़ पीबी 4 जो मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था उसमें मूल्यांकन पत्रक शामिल था लेकिन यह पूर्व-योग्यता चरण के लिए आवश्यक उपरोक्त विभिन्न खंडों की आवश्यकता के अनुसार नहीं था और जानकारी प्रस्तुत न करने पर, जैसा कि मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तर्क दिया है, मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, वित्तीय मूल्यांकन खोलने के लिए मानदंड के अनुसार जो आवश्यक आवश्यकता थी उसे 3.3.2016 को तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष सही ढंग से रखा गया था। हमने सीएसआईडीसी द्वारा दायर मूल कार्यवृत्त और तकनीकी मूल्यांकन दस्तावेज़ का अवलोकन किया है, जो तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष रखे गए थे, और कार्यकारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित थे और तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया गया था। तकनीकी मूल्यांकन समिति के कार्यवृत्त पर उक्त तीनों अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये थे। इसके अलावा दिनांक 3.3.2016 की तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में, योग्यता के विवरण का उल्लेख किया गया है और यह मूल्यांकन शीट के दस्तावेज़ के अनुरूप है जिस पर सीएसआईडीसी ने भरोसा किया है।

35. हमारी राय में, चूंकि वित्तीय बोली खोलने के लिए हॉट मिक्स प्लांट अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हम अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए निवेदन पर ध्यान देने से इनकार करते हैं कि मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने यह खुलासा नहीं किया है कि कब और कैसे और इसने दस्तावेज़ पी-4 किससे और किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं क्योंकि तथ्य यह है कि जो दस्तावेज़ प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया है वह सीएसआईडीसी के कंप्यूटर में भी मौजूद था। हालाँकि, हॉट मिक्स प्लांट के संबंध में हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं, उनके कारण यह महत्वहीन लगता है। हो सकता है कि यह दस्तावेज़ पी-4 भी सीएसआईडीसी में किसी

ने तैयार किया हो, लेकिन इस पर किसी का हस्ताक्षर या हस्ताक्षर नहीं था। इसमें एल-2 की संपूर्ण निविदा की स्थिति को दर्शाया गया था, लेकिन पूर्व-योग्यता चरण और तकनीकी मूल्यांकन के लिए जो अनिवार्य आवश्यकता थी, उसे दस्तावेज़ आर-4/3 और आर-5/3 के रूप में तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष सही ढंग से रखा गया था उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी राय है कि साइबर क्राइम सेल की रिपोर्ट पूर्व-योग्यता मानदंड और वित्तीय बोलियां खोलने के संबंध में कोई मायने नहीं रखती है। चूँकि यह विवादित नहीं है कि सफल निविदाकार एल-1 सभी शर्तों को पूरा करता था और उसके पास हॉट मिक्स प्लांट भी था।

36. अनिवार्य आवश्यकताओं में कोई हेरफेर नहीं किया गया था और हो सकता है कि पी-4 तैयार किया गया था लेकिन हॉट मिक्स प्लांट की कमी के कारण इसका कोई परिणाम नहीं था भले ही समिति के समक्ष रखा गया हो, प्रतिवादी मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में संतुलन नहीं झुका होगा उस आधार पर समिति एल-2 निविदाकर्ता को अयोग्य नहीं ठहरा सकती थी।

37. प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर आते हुए कि मेसर्स अनिल बिल्डकॉन (I) प्राइवेट लिमिटेड को कंक्रीट पेवर नहीं रखने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, क्योंकि एल-2 निविदाकर्ता मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को भी कमी के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। हॉट मिक्स प्लांट, हम तर्क स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वित्तीय बोली खोलने के लिए पूर्व-योग्यता चरण के लिए अनिवार्य संयंत्र और उपकरण की सूची में कंक्रीट पेवर का उल्लेख किया गया था। अत: यह तर्क निराधार पाया जाता है। मेसर्स अनिल बिल्डकॉन (आई) प्रा. लिमिटेड को ठीक ही अयोग्य घोषित किया गया था।

38. हमने यह भी पाया कि मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को स्वयं अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इसने सफल बोली लगाने वाले की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन एल-2 बोली लगाने वाले - मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की योग्यता पर इस आधार पर सवाल उठाया था कि यह योग्य नहीं था और इसकी वित्तीय बोली अवैध रूप से खोली गई थी। यह पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी निविदाकारों के बीच की लड़ाई थी जिसमें सार्वजनिक हित का कोई तत्व शामिल नहीं था। यह प्रतिवादी था जो एल-2 निविदाकार मेसर्स आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसे अनुबंध नहीं दिया गया था, को अयोग्य घोषित करने की मांग करके पुनः निविदा सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यावसायिक हित को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। न्यायालय को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने से विमुख रहना होगा।

39. परिणामस्वरूप, हमने पाया कि प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में कोई ख़ूबी नहीं थी। इस प्रकार, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित फैसले, आदेश और निर्देशों को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। पक्षकारों को अपने हर्जे खर्चे स्वयं वहन करने होंगे।

अंकित ज्ञान

अपीलें स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए,

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।